

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
(प्रशिक्षण केन्द्र)
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM
(TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-2/2022-23/
No.Au/Trg/11-2/2022-23/

दिनांक: 27 दिसंबर 2022
Date:27 December 2022

अनुभागीय आदेश सं.282
SECTIONAL ORDER NO.282

दिनांक 27 दिसंबर 2022 के अनुभागीय आदेश सं. 281 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री जी पुश्किन, स.ले.प.अ/एएमजी I दल को श्री संचित दिवाकर, स.ले.प.अ/ रिपोर्ट (एएमजी III) के स्थान पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर 02 से 07 जनवरी 2023 तक आरटीआई, चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑनसाइट सत्रों 'कोषालय निरीक्षण' के लिए नामित किया गया है।

In partial modification to SO No.281 dated 27 December 2022, **Shir G.Pushkin, AAO/AMG I Party** has been nominated for the onsite sessions on “**Treasury Inspection**” to be conducted by RTI, Chennai from 02 to 07 January 2023 in place of Shri Sanchit Diwakar, AAO/Report(AMG III).

प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरे होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days on date of completion of 3 months from the last day of Training.

(वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 27 दिसंबर 2022 के आदेशानुसार)

ह. Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण
Senior Audit Officer/Training

प्रति ल प:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक्र .प.ले-I)/(ले.प.-II)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.प.-I)/(ले.प.-II) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए